प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-05.05.2026

थाना कप्तानगंज पुलिस, एस०ओ०जी० टीम व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क किनारे फेंकने की घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अदद आला कत्ल चाकू, खून अलूदा तौलिया व अभियुक्तों के संभावित मानव रक्त लगे कपड़े, पिकअप वाहन व मोटर साइकिल को किया गया बरामद-

थाना कप्तानगंज पुलिस, एस०ओ०जी० **टीम व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में** दिनांक-03.05.2026 को ग्राम कल्याणपुर समय माता मंदिर के पूर्व सड़क के किनारे एक व्यक्ति के शव मिलने पर दिनांक-03.05.2026 को थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 115/2026 धारा-103(1) BNS की घटना का सफल अनावरण करते हुए **सम्बंधित अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता **2-**ऋषभ मिश्रा उर्फ राज मिश्रा पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा को दिनांक-05.05.2026 को फरेंदा सेंगर बगीचे के पास से गिरफ्तार कर **उनके कब्जे/ निशानदेही** पर एक अदद टूटा हूआ आला कत्ल चाकू घटना में प्रयुक्त), एक अदद पिकअप (घटना में प्रयुक्त), खून अलूदा तौलिया व अभियुक्तों के संभावित मानव रक्त लगे कपड़े एवं एक अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद किया गया |

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-115/2026 धारा 3(5)/238 BNS व 4/25 Arms Act की वृद्धि कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जिलेबीगंज थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

2- ऋषभ मिश्रा उर्फ राज मिश्रा पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा उम्र 20 वर्ष निवासी बिजरा थाना हर्रैया जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद टूटा हूआ आला कत्ल चाकू (घटना मे प्रयुक्त) |

2- एक अदद पल्सर मोटरसाईकिल गाड़ी संख्या-UP51BY6621 |

3- एक अदद पिकअप वाहन संख्या-UP51T 5745 (घटना मे प्रयुक्त) |

4- खून अलूदा तौलिया व अभियुक्तों के संभावित मानव रक्त लगे कपड़े |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-03.05.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्याणपुर करचौलिया समय माता मंदिर के पूर्व सड़क के किनारे फार्म के पास अज्ञात पुरुष के शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर नियमानुसार शव को कब्जा पुलिस में लेकर किये जा रहे शिनाख्त व अन्य आवश्यक कार्यवाही के क्रम में मृतक की पहचान होने पर मृतक की पत्नी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-03.05.2026 को मु०अ०सं०-115/2026 धारा-103(1) BNS बनाम **1-** शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता **व 2-**कुछ अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसके अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा थानाध्यक्ष कप्तानगंज की विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा किये जा रहे विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के क्रम में त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत लगाए गए सी०सी०टी०वी० कैमरों, अन्य इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, सी०डी०आर० अवलोकन व घटना से सम्बंधित अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को कारित करने वाले **संबंधित अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-** शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता, **2-** ऋषभ मिश्रा उर्फ राज मिश्रा पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा को दिनांक-

05.05.2026 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत फरेंदा सेंगर बगीचे के पास से गिरफ्तार कर एक अदद टूटा हूआ आला कत्ल चाकू घटना में प्रयुक्त), एक अदद पिकअप (घटना में प्रयुक्त), खून अलूदा तौलिया व अभियुक्तों के संभावित मानव रक्त लगे कपड़े एवं एक अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद कर गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-115/2026 धारा-103(1) BNS में धारा 3(5)/238 BNS व 4/25 Arms Act की वृद्धि कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि घटना में हम तीन लोग शामिल थे, जिनमें **1-** शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता पहले से ही मृतक से परिचित था जोकि मृतक से कुछ रुपये उधार लिया था जिनमें से वह कुछ रुपये वापस कर दिया था किन्तु मृतक द्वारा शेष रुपये की बार-बार माँग की जा रही थी, जिस पर **1-** शिवम गुप्ता पुत्र कपूरचन्द गुप्ता द्वारा उधार के शेष बचे रुपयों को वापस न करना पड़े, दिनांक-02.05.2026 को सुनियोजित तरीके से मृतक की हत्या करने हेतु हम तीनों ने बस्ती बाजार से शराब व चाकू खरीद कर समय करीब 22:00 बजे मृतक को उसके घर से अपने पिकअप गाड़ी संख्या-UP51T5745 जिसमें पूर्व से हम तीनों लोग मौजूद थे, में बिठाकर कल्याणपुर करचौलिया फार्म के पास ले जाकर पहले हम लोग शराब पिए, जहां पैसे के लेने-देन की बात को लेकर नोक-झोंक होने लगा, जिस समय हम तीनों ने मृतक को पिकअप के बोनट के पास ही गला रेत कर चाकूओं से गोदते हुए हत्या करने के उपरांत उसके शव को वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया | हम तीनों ने खून के धब्बे का सबूत छिपाने के लिए पिकअप गाड़ी संख्या-UP51T5745 को रात्रि में ले जाकर पानी से धुलने के बाद दूसरे के घर के पास ले जाकर खड़ा कर दिया था | हमारा एक साथी पहले से ही कहीं चला गया है | हम दोनों भी आज रात में मोटर साइकिल पल्सर गाड़ी संख्या-UP51BY6621 से भागने की फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष कप्तानगंज आलोक कुमार श्रीवास्तव जनपद बस्ती |

2- प्रभारी निरीक्षक एस०ओ०जी० विकास यादव जनपद बस्ती |

3- व0उ0नि0 श्री कमलेश गोंड, उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

4- हे0का0 प्रदीप सिंह, हे0का0 गणेश सिंह, का0 पंकज कुमार सिंह, का0 सत्येन्द्र कुमार, का0 कुन्दन मौर्या थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

5- हे0का0 इरशाद खाँन, का0 विजय यादव, का0 चन्दन भारती एस०ओ०जी० टीम जनपद बस्ती |

6- हे0का0 सत्येन्द्र सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

जय गुरु देव
!!श्री शिवाय नमस्तुभ्यं!!
UP 51 T 5745